नेशनल एलाइड एंड हैल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन

NATIONAL ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONAL ASSOCIATION

Former Name: Indian Paramedical Association

मुख्य कार्यालयः सी 77 सैक्टर 2 नोएडा, गौत्तमबुद्ध नगर 201301

Head Office: C-77 Sector 2 Noida. Gautam BuddhNagar 201301

Ref. No. NAHPA/DDA/2025/0044 **Dated-09/07/2025**

अधिसूचना

विषयः– "Indian Paramedical Association" के नाम परिवर्तन की विधिक एवं "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली के प्रयोग हेतु National Commission for Allied and Healthcare Professions – NCAHP द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2025 को अधिसूचित अधिसूचना (**F- No- Z/103/2024-AHS-DOHFW DEPARTMENT**) **निर्देश के अनुपालन में एसोसिएशन की ओर से जारी अधिसूचना के संबंध में:–**

प्रस्तावना

जहाँ एक ओर यह तथ्य निर्विवाद है कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय एलाइड एवं हेल्थकेयर पेशेवर आयोग (**National Commission for Allied and Healthcare Professions – NCAHP**) द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2025 को अधिसूचित अधिसूचना (**F- No- Z/103/2024-AHS-DOHFW DEPARTMENT**) के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि "Paramedical" शब्द का प्रयोग अब विधिक रूप से अमान्य है; और

जहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि **NCAHP** अधिनियम, 2021 की धारा 2 (**b**), (**c**), (**d**), (**e**) एवं (**j**) के प्रावधानों के तहत **"Allied and Healthcare"** शब्दावली को ही स्वीकार्य, मान्य, एवं विनियमित शब्द माना गया है; तथा जहाँ यह भी अधिसूचित किया गया है कि समस्त राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य निकाय एवं संबद्ध संस्थान **"Paramedical"** शब्द के प्रयोग को तत्काल प्रभाव से बंद करें;

अतः, एसोसिएशन की ओर से यह अधिसूचना विधिक रूप से जारी की जाती है तथा समस्त संबद्ध इकाइयों, राज्य शाखाओं, शैक्षणिक संस्थानों, प्रशिक्षण केन्द्रों, एवं प्रशासनिक प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है किः

1. **"Indian Paramedical Association"** का नाम अब से विधिक एवं प्रशासनिक रूप से परिवर्तित होकर **"National Allied and Healthcare Professional Association"** कर दिया गया है।
2. संस्था के अंतर्गत सभी प्रकार के प्रशासनिक, शैक्षणिक, पत्राचार, प्रशिक्षण, प्रमाणन, विज्ञापन, पोर्टल, या किसी भी अन्य मौखिक, लिखित अथवा डिजिटल माध्यम में **"Paramedical"** शब्द का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होगा।
3. उक्त शब्द के स्थान पर प्रत्येक सन्दर्भ में केवल एवं केवल **"Allied and Healthcare"** शब्दावली का प्रयोग किया जाना विधिक रूप से अनिवार्य होगा।
4. यदि किसी परिस्थिति में पूर्ववर्ती अभिलेखों अथवा दस्तावेजों में **"Paramedical"** शब्द अंकित है, तो उन दस्तावेजों के साथ एक शपथ–पत्र या वैधानिक स्पष्टिकरण संलग्न किया जाएगा, जो अद्यतन विधिक स्थिति को परिलक्षित करेगा।
5. अधिसूचना का उल्लंघन करने वाली किसी भी इकाई, संस्था अथवा व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत अनुशासनात्मक एवं संगठनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, जिसकी समस्त उत्तरदायित्व उस इकाई/व्यक्ति पर निहित होगी।
6. यह परिवर्तन तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जाएगा तथा संस्था के सभी दस्तावेज, बैनर, पत्राचार, प्रमाणपत्र, वेबसाइट, पहचान पत्र, कोर्स मैटेरियल आदि पर नए नाम का ही प्रयोग किया जाएगा।
7. पूर्ववर्ती नाम से जारी दस्तावेजों की वैधानिक मान्यता पूर्ववत रहेगी, किन्तु उनके साथ उपयुक्त स्पष्टिकरण अथवा वैधानिक अधिसूचना संलग्न की जाएगी।
8. संस्था की समस्त राज्य शाखाएँ, जिला ईकाइयाँ एवं संबद्ध संस्थान उपर्युक्त नाम परिवर्तन को अपने–अपने क्षेत्राधिकार में तत्काल प्रभाव से लागू करें तथा **15 दिवस** के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन संस्था मुख्यालय को प्रेषित करें।
9. इस नाम परिवर्तन के उद्देश्य से संस्था का संविधान, उपविधान, रजिस्ट्रेशन विवरण, बैंकिंग रिकॉर्ड एवं समस्त कानूनी अभिलेख भी विधिवत अद्यतन किए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी पृथक रूप से प्रदान की जाएगी।

A.Giri

भवदीय,

नेशनल एलाइड एंड हैल्थकेयर
प्रोफेशनल एसोसिएशन